

सं. ए-12018/04/2019-स्था.।।।

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी भवन
नया महरौली रोड,
नई दिल्ली-110016.
दिनांक: 23 जुलाई, 2021

सूचना

विषय: कनिष्ठ तकनीकी सहायक, डीएसटी के पद के लिए भर्ती नियम - के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/61/2008-स्था (आरआर) दिनांक 13.10.2015 के अनुसार हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भर्ती नियमों के निर्माण/संशोधन का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर 30 दिनों के लिए अपलोड किया जाना है। तदनुसार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, विभागीय कैंटीन, डीएसटी (प्रति संलग्न) के पद के लिए मसौदा भर्ती नियमों को हितधारकों की जानकारी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

2. सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भर्ती नियमों के मसौदे का अध्ययन करें और इस नोटिस के 30 दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(अतिन सिंह यादव)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

डॉ. संजय कुमार मिश्रा, वैज्ञानिक 'जी', डीएसटी को डीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

[भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली.....2021

सा. का. नि.राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम 2001 जहां तक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.** - वह व्यक्ति, -

((क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह आदेश द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित रूप में और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

<p>कनिष्ठ तकनीकी सहायक.</p>	<p>7* (सात) (2020)</p> <p>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'</p> <p>अराजपत्रित, अननुसचिवीय</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400 ~ 112400).</p>	<p>लागू नहीं.</p>	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 1. - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>
-----------------------------	---	---	--	-------------------	---

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.</p>
<p>(7)</p>	<p>(8)</p>	<p>0)</p>
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या गणित या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार की कंप्यूटर पाठ्यक्रम योजना के प्रत्यायन के तहत प्राप्त "ए" स्तर का उन्नत डिप्लोमा; या</p> <p>भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की कंप्यूटर पाठ्यक्रम योजना की मान्यता के तहत प्राप्त "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर नौकरी का एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी, यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>

<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>
<p>80% सीधी भर्ती द्वारा और 20% पदोन्नति द्वारा दोनों में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति: तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (29200- 92300 रुपये) या समकक्ष के स्तर-5 में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में छह साल की सेवा के साथ; या मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500 - 81100 रुपये) या समकक्ष में स्तर-4 में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दस साल की सेवा के साथ; तथा कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।</p> <p>नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

<p>यदि पदोन्नति या पुष्टिकरण समिति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति या पुष्टिकरण समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है</p>	<p>ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो।</p>
<p>(12)</p> <p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी', विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य, 	<p>(13)</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं।</p>

फा. सं. ए-12018/04/2019-स्था.।।।

(बी. के. पी. अंगम)
अवर सचिव, भारत सरकार